उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1962)

THE U.P. SLUM AREAS (IMPROVEMENT AND CLEARANCE) ACT, 1962

(U.P. Act No. XVIII of 1962)

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1962]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 1981

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 23, 1986

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27, 2021

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, "भारत के संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 24 नवम्बर, 1962 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 3 दिसम्बर, 1962 ई० को प्रकाशित हुआ।]

मलिन बस्ती क्षेत्रों के सुधार और निपातन, उनके निवासियों के पुनर्वासन और ऐसे क्षेत्रों के किरायेदारों के निष्कासन से संरक्षण की व्यवस्था करने के लिये,

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह धारा तुरन्त प्रचलित होगी तथा शेष धाराएं उस दिनांक से प्रचलित होंगी जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न—भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते है ।

परिभाषाएं

2—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में :—

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 26 अप्रैल, 1960 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए।

(क) "मध्यस्थ" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये इस रूप में नियुक्त किया हो;

(ख) "भवन" में कोई संरचना या विनिर्माण अथवा उसका कोई भाग भी सम्मिलित है, चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिये हो और किसी भी सामग्री से बना हो, किन्तु इसके अन्तर्गत भवन में स्थित संयंत्र या मशीनें नहीं है ;

(ग) "निपातन क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो धारा 10 के अधीन इस रूप में घोषित किया जाय ;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी से है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे क्षेत्र के लिये जो उसमें निर्दिष्ट किया जाय इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त करे ;

(ङ) भवन के संबंध में प्रयुक्त "विनिर्माण" में विस्तार, परिवर्तन या पुनः विनिर्माण भी सम्मिलित है ;

(च) अध्यासी में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :––

(1) कोई व्यक्ति, जो तत्समय किसी ऐसी भूमि या भवन के संबंध में जिसका किराया दिया जाता हो या देय हो, किराया या किराये का कोई भाग स्वामी को दे रहा हो या उसका देनदार हो,

(2) स्वामी, जो अपनी भूमि या भवन में अध्यासीन हो अथवा अन्य रूप से उसे काम में लाता हो,

(3) किसी भूमि या भवन का किरायेदार, जो किराया देने से मुक्त हो,

(4) लाइसेंस गृहीता, जो किसी भूमि या भवन में अध्यासीन हो, तथा

(5) कोई व्यक्ति जिस पर किसी भूमि या भवन के उपयोग तथा अध्यासन के लिये स्वामी को क्षतिपूरक देने का दायित्व हो ।

(छ) "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति, भी सम्मिलित है जो स्वयं अपनी ओर से अथवा अपनी तथा दूसरों की ओर से अभिकर्ता अथवा न्यासधारी के रूप में किसी भवन या भूमि का किराया पाता हो या पाने का हकदार हो अथवा जो उस दशा में इस प्रकार किराया पाता या पाने का हकदार होता जब भवन अथवा भूमि किरायेदार को किराये पर उठायी गयी होती ;

(ज) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(झ) "मलिन बस्ती क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो धारा 3 के अधीन इस रूप में घोषित किया गया हो ;

(ञ) "मलिन बस्ती निपातन" का तात्पर्य किसी मलिन बस्ती क्षेत्र में भवनों को पूर्ण या आंशिक रूप से गिराकर अथवा उन्हें हटाकर उक्त बस्ती क्षेत्र की सफाई करने से है, और उस क्षेत्र में विद्यमान भवनों या भूमि में सुधार कार्य करना भी उसमें सम्मिलित है;

(ट) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ; तथा

(ठ) मलिन बस्ती क्षेत्र में किसी भवन या भूमि के संबंध में प्रयुक्त "सुधार कार्य" में निम्नलिखित कार्यो में से कोई एक या अधिक करना सम्मिलित है, अर्थात् :–

(1) आवश्यक मरम्मत ;

(2) संरचना संबंधी परिवर्तन ;

(3) प्रकाश की व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत सड़कों पर प्रकाश करना भी है, और जल–सम्भरण की व्यवस्था ;

(4) सड़कों, पार्कों तथा खुली या ढकी हुई नालियों का निर्माण ;

(5) शौचालयों की व्यवस्था करना ;

(6) अतिरिक्त या सुधरे हुए स्थायकों (fixtures) अथवा साज–सामानों की व्यवस्था करना ;

(7) प्रांगण बनाना या उनमें खड़ंजा लगाना ;

(8) कूड़ा हटाना ; और

(9) कोई अन्य कार्य, जिसमें किसी भवन या उसके किसी भाग को गिराना भी सम्मिलित है, जो सक्षम प्राधिकारी की राय में ऊपर उल्लिखित कोई कार्य करने के लिये आवश्यक हो ।

अध्याय 2

मलिन बस्ती क्षेत्र

मलिन बस्ती क्षेत्र का घोषित किया जाना

3–(1) यदि सक्षम प्राधिकारी की, ऐसी सूचना के आधार पर जो उसे प्राप्त हो या अन्य रीति से उसके पास हो, किसी क्षेत्र के संबंध में यह समाधान हो जाय कि उस क्षेत्र में अधिकतर भवन––

(क) जीर्णावस्था, अतिसंकुलता, ऐसे भवनों के दोषपूर्ण विन्यास या प्ररचना, पथों की संकीर्णता या उनके दोषपूर्ण विन्यास, वातायन, प्रकाश या स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के अभाव या इनमें से एकाधिक दोष होने के कारण उस क्षेत्रके निवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या सदाचार के लिये हानिकारक है ; या

(ख) मानव निवास के लिये अन्यथा किसी प्रकार से अनुपयुक्त हैं ;

तो वह (सक्षम प्राधिकारी) सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करा–कर ऐसे क्षेत्र को मलिन बस्ती क्षेत्र घोषित कर सकता है ।

(2) यह अवधारित करने में कि कोई भवन मानव निवास के लिये अनुपयुक्त है या नहीं, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जायेगा :––

(क) आवश्यक मरम्मत की मात्रा ;

(ख) स्थायित्व ;

(ग) नमी की मात्रा ;

(घ) प्राकृतिक प्रकाश और वायु की उपलभ्यता ;

(ङ) जल–सम्भरण ;

(च) शौचालय, जल–निकाली तथा स्चच्छता संबंधी प्रबंध ;

(छ) भोजन का संग्रह रखने, भोजन तैयार करने और पकाने तथा क्षेप्य पदार्थ और जल के निस्तारण करने की सुविधायें ;

और यदि भवन उपर्युक्त किसी एक या अधिक बातों में इतना दोषपूर्ण हो कि उस दशा में वह अध्यासन के निमित्त यथोचित रीति से उपयुक्त न हो तो वह पूर्वोक्त रूप से अनुपयुक्त समझा जायेगा ।

अध्याय 3

मलिन बस्ती का सुधार

मानव निवास के निमित्त अनुपयुक्त भवनों का सुधार करने के लिये सक्षम प्राधिकारी का अधिकार

4–(1) यदि सक्षम प्राधिकारी का, ऐसी सूचना के आधार पर जो उसे प्राप्त हुई हो या अन्य रीति से उसके पास हो, यह समधान हो जाय कि मलिन बस्ती क्षेत्र में कोई भवन मानव निवास के लिये किसी प्रकार से अनुपयुक्त है या उस क्षेत्र की किसी भूमि पर कोई सुधार कार्य अपेक्षित है तो वह सिवाय उस दशा में जब उसकी यह राय हो कि उचित व्यय से भवन इस प्रकार उपयुक्त बनाये जाने योग्य नहीं है या भूमि में अपेक्षित सुधार उचित व्यय से नहीं किया जा सकता है –– यथास्थिति, भवन या भूमि के स्वामी पर नोटिस तामील कर सकता है, जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाय कि वह पैतालीस दिन से अन्यून ऐसे उचित समय के भीतर, जो नोटिस में उल्लिखित किया जाय या जो समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जाय भवन को मानव निवास के लिये उपयुक्त बना दे या नोटिस में उल्लिखित सुधार–कार्य भूमि पर करे । नोटिस में उन बातों का भी उल्लेख होगा जिनसे वह भवन सक्षम प्राधिकारी की राय में मानव निवास के लिये उपयुक्त हो जायेगा तथा भूमि पर अपेक्षित सुधार कार्य और उन बातों या सुधार–कार्यो से संबंधित अनुमानित लागत का भी उसमें उल्लेख होगा ।

स्पष्टीकरण–1––यह अवधारित करने में कि भवन को उचित व्यय से मानव निवास के लिये उपयुक्त बनाया जा सकता है या नहीं अथवा भूमि पर अपेक्षित सुधार कार्य उचित व्यय से किया जा सकता है या नहीं, भवन को इस प्रकार उपयुक्त बनाने के लिये आवश्यक कार्यो या भूमि पर लिये जाने के लिये अपेक्षित सुधार कार्य की अनुमानित लागत का तथा कार्य समाप्त हो जाने या सुधार कार्य किये जाने के पश्चात् भवन या भूमि के अनुमानित मूल्य का ध्यान रखा जायेगा ।

स्पष्टीकरण–2––इस उपधारा के प्रयोजन के लिये किसी भवन को मानव निवास के लिये उपयुक्त बनाने के संबंध में "उचित व्यय" से तात्पर्य ऐसे व्यय से है जो भवन के मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक न हो ।

(2) इस धारा के अधीन स्वामी पर नोटिस तामील करने के साथ–साथ, सक्षम प्राधिकारी उसकी प्रतिलिपि की तामील किसी ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी कर सकता है जिसका भवन या भूमि में स्वत्व हो, चाहे वह पट्टेदार या बंधकधारी के रूप में हो या अन्य रूप में ।

उस नोटिस का कार्यान्वय जिसमें सुधार कार्यो के किये जाने की अपेक्षा की गयी हो

5–(1) यदि धारा 4 के अधीन दिये गये नोटिस का अनुपालन न किया जाय तो सक्षम प्राधिकारी, नोटिस में निर्धारित या समय–समय पर उनके द्वारा बढ़ाये गये समय के व्यतीत हो जान के पश्चात्, उन समस्त या किन्हीं बातों को, जो नोटिस के अनुसार किये जाने के लिये अपेक्षित हों, स्वयं कर सकता है या ऐसे माध्यम से करा सकता है जिसे उसने तदर्थ प्राधिकृत किया हो ।

(2) इस धारा के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये सभी व्यय––जिनके अन्तर्गत मांग के दिनांक से भुगतान के दिनांक तक ऐसी दर से ब्याज भी है, जो नियत

की जाय––यथास्थिति, भवन या भूमि पर प्रथम भार होंगे और सक्षम प्राधिकारी उन्हें भवन या भूमि के स्वामी से, जैसी भी दशा हो, मालगुजारी के बकाये के रूप में, ऐसी किस्तों में जो नियत रीति से निर्धारित की जायं वसूल कर सकता है ;

प्रतिबंध यह है कि जब वह स्वामी सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि;

(क) वह (स्वामी) किराया केवल किसी अन्य व्यक्ति के अभिकर्ता या न्यासधारी के रूप में प्राप्त कर रहा है ; और

(ख) उसके पास, सक्षम प्राधिकारी की कुल मांगे पूरी करने के लिये उस अन्य व्यक्ति के हिसाब में पर्याप्त धनराशि नहीं है,

तो उक्त स्वामी का दायित्व उस कुल धनराशि तक सीमित होगा जो उसके पास अभिकर्ता अथवा न्यासधारी के रूप में हो ।

(3) यदि भवन का स्वामी उस व्यक्ति से भिन्न हो जो उस भूमि का स्वामी हो, जिस पर भवन हो, और इस धारा के अधीन संक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया व्यय इन दोनों व्यक्तियों से वसूल किये जाने योग्य हो, तो वह व्यय उन व्यक्तियों से उस अनुपात में वसूल किया जायगा जो सक्षम प्राधिकारी भूमि तथा भवन के आनुपातिक मूल्य को तथा ऐसे अन्य तथ्यों को जो नियत किये जायं, ध्यान में रखकर, अवधारित करे ।

सुधार–कार्य आदि के अनुरक्षण व्यय भवन के अध्यासियों से वसूल किये जायेंगे

6–यदि धारा 4 और 5 के उपबन्धों का अनुसरण करके किसी मलिन बस्ती क्षेत्र में किसी भवन में सुधार–कार्य किये गये हों, तो ऐसे सुधार कार्यो के अनुरक्षण के संबंध मं या उन सुख–सुविधाओं के उपभोग के संबंध में, जो ऐसे कार्यो से संभव हुई हों, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया व्यय भवन के अध्यासी से मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा । जब अध्यासी एक से अधिक हों, तो प्रत्येक (अध्यासी) को जितना लाभ पहुंचा हो और उसका जितना उपकार हुआ हो उसे ध्यान मे रखकर सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक अध्यासी से वसूल की जाने वाली धनराशि अवधारित करेगा ।

[1][**7**–[(1)] कोई भी व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, जो नियत रीति से प्राप्त की जायेगी, किसी मलिन बस्ती क्षेत्र में स्थित किसी भूमि पर न तो किसी नये भवन का निर्माण करेगा और न उक्त भूमि में विद्यमान किसी भवन में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन करेगा ।

[1][(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये प्रार्थना–पत्र देने के दिनांक से 90 दिन की अवधि के भीतर अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इन्कार करने का कोई आदेश संसूचित न किया जाय, वहां आवेदक लिखित संसूचना द्वारा इस चूक या उपेक्षा की आरे सक्षम प्राधिकारी का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और यदि ऐसी चूक या उपेक्षा 30 दिन की अग्रतर अवधि तक बनी रहे तो यह समझा जायगा कि सक्षम प्राधिकारी ने, यथास्थिति, ऐसा निर्माण, विस्तार या परिवर्तन करने की अनुज्ञा दे दी है ।]

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी नये भवन का निर्माण या किसी विद्यमान भवन में कोई विस्तार किया गया हो, वहां वह तत्समय प्रवृत्त किसी

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 23, 1986 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, भवन के स्वामी पर आदेश तामील कर सकता है जिसमें उसे ऐसे भवन या विस्तार को, ऐसी अवधि के भीतर, जो एक मास से कम न हो, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, गिराने का निदेश दिया गया हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि भवन के स्वामी को यह कारण बताने के लिये कि क्यों न आदेश दिया जाय, युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय ।]

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञा न देने के आदेश से या उपधारा (3) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से एक मास के भीतर उसके विरूद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकता है जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(5) यदि भवन का स्वामी उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन भवन गिराने के लिये दिये गयें आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे न्यूनतम बल का प्रयोग करके, जैसा आवश्यक हो, ऐसे भवन या उसमें किये गये विस्तार को गिरा सकता है और गिराने का व्यय स्वामी से भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जा सकता है ।][1]

मानव निवास के लिये अनुप युक्त भवनों को गिराने का आदेश देने का सक्षम प्राधिकारी का अधिकार

8–(1) यदि सक्षम प्राधिकारी को ऐसी सूचना के आधार पर जो उसे प्राप्त हुई हो या अन्य प्रकार से उसके पास हो, समाधान हो जाय कि मलिन बस्ती क्षेत्र में कोई भवन मानव निवास के लिये अनुपयुक्त है और उचित व्यय से उपयुक्त बनाये जाने योग्य नहीं है तो वह भवन के स्वामी पर और प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति पर, जिसके बारे में उसे जानकारी हो कि उसका भवन में पट्टेदार, बंधकधारी या अन्य रूप में स्वत्व है, नोटिस तामील करके उससे नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर यह बताने के लिये कहेगा कि भवन को गिराने का आदेश क्यों न दिया जाय ।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिस पर उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किया गया हो, सुनवाई का तथा यदि कोई साक्ष्य हो तो उसे प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात् भी, नोटिस में उल्लिखित अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान करने में असमर्थ रहे कि गिराने का आदेश न्यायपूर्ण और उचित नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, उन मामलों को छोड़कर जो उपधारा (3) के अधीन आते हों, अथवा जिनके लिये इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अन्यथा व्यवस्था की गई हो, भवन या उसके किसी भाग को गिराने का ऐसा आदेश देगा, जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वय के लिये आवश्यक समझे ।

(3) उस दशा को छोड़कर, जिसकी व्यवस्था उपधारा (4) में की गई है, उपधारा (1) के अधीन नोटिस का अनुसरण करके किसी भवन को गिराने का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस दशा में पारित नहीं किया जायेगा जब उन व्यक्तियों मे से जिन पर उक्त नोटिस तामील किया गया हो कोई व्यक्ति उसके समक्ष उपस्थित हो और ––

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 23, 1986 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

(क) वह सक्षम प्राधिकारी का इस बात का समाधान कर दे कि गिराने का आदेश न्यायपूर्ण और उचित न होगा ; या

(ख) उसे इस बात का वचन दे कि वह ;

(1) ऐसी अवधि के भीतर, जिससे सक्षम प्राधिकारी सहमत हो, भवन से सम्बद्ध ऐसे सुधार–कार्य करेगा जिससे उस प्राधिकारी की राय मे भवन मानव निवास के उपयुक्त हो जायेगा ; या

(2) भवन को मानव निवास के लिये तब तक काम में न लायेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी, यह समाधान हो जाने पर कि भवन उस प्रयोजन के लिये उपयुक्त बना दिया गया हो, दिये गये वचन को समाप्त न कर दे ।

(4) जब––

(1) उपधारा (3) में उल्लिखित कोई वचन न दिया गया हो, या

(2) उक्त वचन दिया गया हो किन्तु कोई सुधार–कार्य जिसके संबंध में वह वचन हो, उल्लिखित अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समाधान के अनुसार न किया गया हो, या

(3) भवन का उपयोग किसी भी समय वचन की शर्तो का उल्लंघन करके किया गया हो,

तो सक्षम प्राधिकारी उस भवन को गिराने का आदेश दे सकता है जिसके संबंध में उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किया गया हो और भवन के अध्यासी को आदेश में उल्लिखित अवधि के भीतर––जो आदेश के तामील होने के दिनांक से पैतालीस दिन से कम न होगी––उसे खाली करने का आदेश दे सकता है ओर उसके स्वामी को, भवन खाली करने के लिये स्वीकृत अवधि के व्यतीत हो जाने के पश्चात् उसे छः सप्ताह के भीतर गिराने का आदेश दे सकता है ।

गिराने का आदेश दिये जाने पर अनुसरणीय

9–(1) यदि धारा 8 के अधीन भवन को गिराने का आदेश दिया गया हो और वह तदर्थ निर्दिष्ट समय के भीतर खाली न किया जाय या न गिराया जाय, तो सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति उसे खाली करवा तथा गिरवा सकता है । सक्षम प्राधिकारी भवन को खाली कराने और गिराने के प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन गिराये गये भवन के मलवे को सक्षम प्राधिकारी सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेच सकता है और उसकी बिक्री से प्राप्त धनराशि से भवन के गिराने के व्यय की पूर्ति हो गई समझी जायेगी ;

प्रतिबंध यह है कि यदि भवन का स्वामी नीलाम के पूर्व मलवे को या उसके किसी भाग को उठाना चाहे तो वह सक्षम प्राधिकारी को, उसके द्वारा नियत अवधि के भीतर, भवन को गिराने का समस्त व्यय चुका कर उसे उठा सकता है ।

अध्याय 4

मलिन बस्ती निपातन और पुनः विकास

किसी मलिन बस्ती क्षेत्र को निपातन क्षेत्र

10–यदि सक्षम प्राधिकारी का, किसी मलिन बस्ती क्षेत्र या उसके किसी भाग के संबंध में ऐसी सूचना के आधार पर जो उसे प्राप्त हुई हो या अन्य प्रकार से उसके पास हो, यह समाधान हो जाय कि उस क्षेत्र के अधिकतर भवन ऐसे हैं कि वे मानव निवास के

घोषित करने का अधिकार

उपयुक्त नहीं बनाये जा सकते या उस क्षेत्र की भूमि पर अपेक्षित सुधार–कार्य वहां वर्तमान भवनों को गिराये बिना नहीं किये जा सकते, तो वह सरकारी गजट में आदेश प्रकाशित करके उस क्षेत्र को निपातन क्षेत्र घोषित कर सकता है ।

कारण बताने के लिये नोटिस

11–सक्षम प्राधिकारी धारा 10 के अधीन किसी क्षेत्र के निपातन क्षेत्र घोषित किये जाने के पूर्व, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर, जो उस क्षेत्र के, जिसे निपातन क्षेत्र ज्ञापित करने का प्रस्ताव हो, किसी भवन का स्वामी या अध्यासी हो, एक नोटिस तामील करेगा या तामील करायेगा जिसमें यह प्रकट किया जायेगा कि उस क्षेत्र को निपातन क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव है और उसमें उससे यह भी कहा जायगा कि वह नोटिस में उल्लिखित अवधि के भीतर जो तीस दिन से कम न होगी, यह कारण बताये कि प्रस्तावित आदेश क्यों न दिया जाय । इस धारा के अधीन नोटिस सरकारी गजट और दो स्थानीय समाचार–पत्रों में भी प्रकाशित किया जायेगा ।

आपत्तियों का निस्तारण

12–(1) धारा 11 के अधीन प्राप्त किसी आपत्ति का निस्तारण सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् करेगा ।

(2) यदि सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय करे कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह क्षेत्र को निपातन क्षेत्र घोषित कर देगा और यह निर्णय करेगा कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उक्त क्षेत्र के किन भवनों को गिराया जाय ।

(3) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन आदेश की एक प्रति ऐसे विवरण–पत्र के साथ जिसमें निम्नलिखित बातें दी होंगी, तुरन्त राज्य सरकार को भेजेगाः––

(1) उन व्यक्तियों की संख्या जो धारा 11 के अधीन जारी किये गये नोटिस के दिनांक पर, उस क्षेत्र के भवनों मे अध्यासीन थे, जिसे निपातन क्षेत्र विज्ञापित करने का प्रस्ताव हो ;

(2) उस क्षेत्र के जिन भवनों को गिराना हो उनके आवश्यक ब्योरों सहित उनके स्वामियों के नाम ; और

(3) वे भवन और भूमि जिन्हें क्षेत्र के पुनः विकास के लिये अर्जित करना आवश्यक हो ।

(4) राज्य सरकार या तो आदेश की पूर्णतया या ऐसे परिवर्तनों के अधीन रहते हुये जो वह न्यायपूर्ण और समुचित समझे, पुष्टि कर सकती है या आदेश को रद्द कर सकती है ।

(5) यदि राज्य सरकार आदेश की पुष्टि करे तो आदेश सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा और वह प्रकाशन के दिनांक से प्रवर्ती होगा ।

मलिन बस्ती निपातन आदेश

13–(1) सक्षम प्राधिकारी धारा 10 तथा 12 के उपबंधों के अनुसार किसी मलिन बस्ती क्षेत्र के निपातन क्षेत्र घोषित किये जाने तथा धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन उस आदेश के प्रवर्ती हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उक्त क्षेत्र के संबंध में एक मलिन बस्ती निपातन आदेश देगा जिसमें यह आज्ञा होगी कि उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो आदेश की तामील के दिनांक से तीस दिन से कम की न होगी, ऐसे समस्त भवनों को, जिन्हें धारा 12 के निर्णय के अनुसरण में गिराना होगा, यथास्थिति, उक्त भवनों के स्वामी या अध्यासी खाली कर दे तथा उसमें स्वामी के लिये यह निदेश भी

होगा कि वह उन भवनों को, उस दिनांक से, जब तक आदेश के अनुसार उनका खाली किया जाना अपेक्षित हो, छः सप्ताह के भीतर अथवा ऐसी अधिक अवधि की समाप्ति के पूर्व जो सक्षम प्राधिकारी मामले की स्थिति को देखते हुये निर्दिष्ट करे, गिरा दे ।

(2) यदि भवन का स्वामी या अध्यासी उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे खाली न करें, तो सक्षम प्राधिकारी उसे खाली करवायेगा तथा वह तदर्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, जो आवश्यक हो ।

(3) यदि कोई भवन उपधारा (1) के अधीन तदर्थ निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने के पूर्व न गिराया जाय, तो सक्षम प्राधिकारी उसमें प्रवेश कर सकता है तथा उसे गिरा सकता है ओर उसके मलवे को सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेच सकता है तथा उसका बिक्री ये प्राप्त धनराशि से भवन के गिराने के व्यय की पूर्ति हो गई समझी जायेगी ;

यदि मलवे की बिक्री से प्राप्त धनराशि में से भवन गिराने तथा मलवे की बिक्री पर हुआ व्यय काट लेने के बाद कुछ बचे तो उसका भुगतान नियत रीति से भवन के स्वामी को कर दिया जायेगा ;

प्रतिबंध यह है कि भवन का स्वामी नीलाम के पूर्व मलवे को या उसके किसी भाग को उठाना चाहे तो वह सक्षम प्राधिकारी को, उसके द्वारा नियत अवधि के भीतर भवन को गिराने का समस्त व्यय चुका कर उसे उठा सकता है ।

(4) यदि इस धारा के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में कोई भवन गिरा दिय ा गया हो, तो सक्षम प्राधिकारी यथाशक्य, भवन के अध्यासी को ऐसी रीति से और उस सीमा तक, जो नियत की जाय, अस्थायी वैकल्पिक वा–स्थान अर्पित करेगा ।

निपातन क्षेत्र की भूमि का पुनः विकास करने की अनुज्ञा देने से इन्कार करने का अधिकार

14–यहां आगे की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये उस दिनांक से जब से किसी क्षेत्र में मलिन बस्ती निपातन आदेश प्रवर्ती हो, कोई भी व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शों के अनुसरण से अन्यथा या उसके लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना उस क्षेत्र में न किसी भूमि पर कोई निर्माण करेगा और न किसी भवन में परिवर्तन या उसकी मरम्मत करेगा ।

निपातन क्षेत्र में भूमि का पुनः विकास

15–(1) सक्षम प्राधिकारी निपातन क्षेत्र में स्थित किसी भूमि या भवन के जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अर्जित करना अभिप्रेत न हो, स्वामी के प्रार्थनापत्र पर, उसेऐसी शर्तो तथा विनियमों के अधीन रहते हुये जो नियत किये जायं, उस भूमि पर नये निर्माण या उस भवन मे ंपरितर्वन या उसकी मरम्मत करने की अनुज्ञा देगा ।

(2) यदि सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी प्रार्थना–पत्र का निस्तारण उसकी प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर न करे तो भूमि पर निर्माण अथवा भवन में परिवर्तन या उसकी मरम्मत करना चाहने वाला उसका स्वामी, अपने ऐसा करने के अभिप्रायकी सूचना देने वाले दूसरे नोटिस के सक्षम प्राधिकारी पर तामील किये जाने के पन्द्रह दिन के पश्चात् तथा ऐसी शर्तो तथा विनियमों के जो सक्षम प्राधिकारी द्व ारा नक्शा अनुमोदित किये जाने की दशा में आरोपित किये जा सकते तथा भवनों के निर्माण से संबद्ध किसी विद्यमान विधि के अधीन रहते हुए, उस भूमि पर नये निर्माण अथवा उस भवन में परिवर्तनया उसकी मरम्मत कर सकता है ।

निपातन–क्षेत्र अथवा किसी भाग का पुनः विकास करने का सक्षम प्राधिकारी का अधिकार

16–(1) जब मलिन बस्ती निपातन आदेश के अनुसार किसी भूमि पर से भवन हटा दिये गये हों, तो सक्षम प्राधिकारी उस क्षेत्र में, ऐसे समस्त भवनों के, जिनके संबंध में धारा 12 के अधीन गिराने का निर्णय किया गया हो, गिरा दिये जाने के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय, उस क्षेत्र की या उसके किसी भाग की ऐसी भूमि का पुनः विकास करने का निश्चय कर सकता है, जो वह भूमि न हो जिसका पुनः विकास आदेश के दिनांक पर भूमि या भवन का वह स्वामी जिसे ऐसा करने का हक हो, धारा 15 के उपबंधों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार कर चुका हो अथवा कर रहा हो ।

(2) यदि सक्षम प्राधिकारी ने उपधारा (1) के अधीन भूमि का पुनः विकास करने का निश्चय किया हो, तो यथासंभव, निश्चय के दिनांक से दो वर्ष के भीतर ऐसा करना उसका कर्तव्य होगा ।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी उक्त दो वर्ष की अवधि के भीतर भूमि का पुनः विकास करने में असमर्थ हो या असफल रहे तो वह राज्य सरकार को अपनी असमर्थता या असफलता के कारणों की सूचना देगा । तदुपरान्त राज्य सरकार भूमि का पुनः विकास, ऐसी अवधि के भीतर पूरा किये जाने की अपेक्षा कर सकती है, जिसे वह तदर्थ निश्चित करे ।

अध्याय 5

भूमि का अर्जन

भूमि अर्जित करने का राज्य सरकार का अधिकार

17–[1][(1) (क) जहां सक्षम प्राधिकारी का ऐसी सूचना के आधार पर, जो उसे प्राप्त हुई हो या अन्य प्रकार से उसके पास हो, यह समाधान हो जाय कि किसी मलिन बस्ती क्षेत्र या निपातन क्षेत्र में किसी भूमि या भवन अथवा दोनो का अर्जन करना, उस क्षेत्र में किसी भवन या भूमि के संबंध में सुधार कार्य करने या भवन गिराने के किसी आदेश को कार्यान्वित करने के लिये या किसी निपातन क्षेत्र के पुनः विकास या मलिन बस्ति क्षेत्रों के निवासियों के पुनर्वासन के प्रयोजन के लिये आवश्यक है तो वह सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी भूमि या भवन या दोनों का अर्जन करने का अपना अभिप्राय घोषित कर सकता है ।

(ख) सक्षम प्राधिकारी एक नोटिस जिसमें ऐसे समय के भीतर जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, यह कारण बताने के लिये कि क्यों न इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये ऐसी नोटिस में निर्दिष्ट भूमि या भवन का अर्जन कर लिया जाय :––

(एक) उस क्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में होगा, प्रकाशित करेगा ;

(दो) उस क्षेत्र में सुविधाजनक स्थानों पर चिपकावायेगा ;

(तीन) भूमि या भवन के समस्त स्वामियों को और उसमें हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को, जिनका नाम और पता सक्षम प्राधिकारी को ज्ञात हो या जिसे उसके द्वारा युक्तियुक्त रूप से अभिनिश्चित किया जा सके, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या अन्य प्रकार से भेजेगा।]

---

1. उ0 प्र0 अधि0 सं0 23, 1986 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नोटिस के अनुसरण में प्रस्तुत की गई किसी आपत्ति का निस्तारण सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, ऐसी रीति से करेगा जो नियत की जाय ।

(3) तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकारी, उस भूमि या उन भवनों के संबंध में, जिसे या जिन्हें इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अर्जित करने का प्रस्ताव हो, अपनी सिफारिशें राज्य सरकार के पास निर्णयार्थ भेजेगा ।

(4) यदि सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश प्राप्त होने पर, राज्य सरकार यह निश्चय करे कि ऐसी भूमि या भवन का अर्जन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, लोक–हित में आवश्यक है, तो वह इस आशय की घोषणा सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा करेगी । घोषणा का प्रकाशन समस्त संबद्ध व्यक्तियों के लिये पर्याप्त नोटिस होगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन पर, उसमें उल्लिखित भूमि या भवन प्रकाशन के दिनांक से सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में पूर्णरूप से निहित हो जायेंगे ।

राज्य सरकार द्वारा अर्जित भूमि, सक्षम प्राधिकारी को उपलभ्य कराना

18–(1) यदि कोई भूमि या भवन इस अधिनियम के अधीन अर्जित किया गया हो तो राज्य सरकार उसे सक्षम प्राधिकारी को, उस पर कोई सुधार–कार्य करने या भवन गिराने का आदेश कार्यान्वित करने अथवा पुनः विकास या मलिन बस्तियों के निवासियों के पुनर्वासन के प्रयोजनों के लिये या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्रयोजन के लिये, उपलभ्य करायेगी और तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार उपलभ्य करायी गयी भूमि या भवन का उक्त प्रयोजन के लिये उपयोग करेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, उपलभ्य करायी गयी भूमि पर किन्हीं मकानों का निर्माण किया गया हो तो उन्हें, जहां तक ऐसा करना संभव हो, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जो नियत की जायं, उस क्षेत्र में गिराये गये भवनों के अध्यासियों को सबसे पहले प्रदिष्ट किये जाने के लिये अर्पित किया जायेगा।

[1] **[स्पष्टीकरण**—जहां किसी भवन या उसके भाग या खाली भूमि को इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को आवंटित किया जाना हो, वहां सक्षम प्राधिकारी उसे आवंटिती को ऐसी अवधि के लिए और ऐसे किराये और ऐसी अन्य शर्तो पर, जैसी नियत की जायं, पट्टे पर दे सकता है ।]

प्रतिकर का भुगतान

19–(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी भूमि या भवन अथवा उसमें कोई स्वत्व इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अर्जित किया गया हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर का हकदार होगा और प्रतिकर का भुगतान उसे राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से किया जायेगा ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर का भुगतान राज्य सरकार को उस व्यक्ति के प्रतिदायित्व से जो ऐसा भुगतान पाने का विधितः अधिकारी हो, पूर्णरूप

1. उ0 प्र0 अधि0 सं0 18, 1981 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

से मुक्त करेगा, किन्तु इससे प्रतिकर के संबंध में किसी ऐसे अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा, जिसे कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के विरूद्ध जिसे इस प्रकार भुगतान किया गया हो, प्रवर्तित करने का हकदार हो ।

प्रतिकर का अवधारण

20–(1) इस अधिनियम के अधीन अर्जित किसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में प्रतिकर के रूप में देय धनराशि, धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन घोषणा के प्रकाशन के दिनांक से ठीक पहले के लगातार पांच वर्षो की अवधि में ऐसी भूमि या भवन से वास्तव में प्राप्त शुद्ध औसत मासिक आय के सौ गुने के बराबर होगी ।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित शुद्ध औसत मासिक आय की गणना अनुसूची में दी गई रीति और सिद्धान्तों के अनुसार की जायेगी ।

(3) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी रीति से जांच करने के पश्चात् जो नियत की जाय, उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार भूमि या भवन की शुद्ध औसत मासिक आय अस्थायी रूप से अवधारित करेगा और भूमि या भवन के स्वामी पर और उसमें स्वत्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर एक नोटिस और भूमि या भवन की शुद्ध औसत मासिक आय, जो उसके द्वारा अस्थायी रूप से अवधारित हो, का ज्ञापन तामील करेगा या तामील करायेगा, जिससे कि यदि उसके संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस में उल्लिखित दिनांक तक की जा सके ।

(4) उपधारा (3) के अधीन नोटिस के अनुसरण मे की गई प्रत्येक आपत्ति का निस्तारण सक्षम प्राधिकारी, आपत्ति कर्त्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् करेगा ।

(5) यदि उपधारा (3) के अधीन दिये गये नोटिस के अनुसरण में भूमि या भवन की शुद्ध औसत मासिक आय के अस्थायी अवधारण के विरूद्ध कोई आपत्ति नोटिस में निश्चित अवधि के भीतर न की जाय, या यदि आपत्तियां की गयी हों तो उपधारा (4) के अधीन जब उनका निस्तारण हो जाय तो सक्षम प्राधिकारी भूमि या भवन की शुद्ध औसत मासिक आय जो उनसे अन्तिम रूप से अवधारित की हो, सरकारी गजट में प्रकाशित करके घोषित करेगा ।

(6) उपधारा (5) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये शुद्ध औसत मासिक आय के अन्तिम अवधारण से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उस (अवधारण) के प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन के भीतर डिवीजन के आयुक्त (कमिश्नर) को या ऐसे अन्य प्राधिकारी अथवा न्यायालय को अपील कर सकता है जिसे राज्य सरकार तदर्थ विज्ञापित करे ।

(7) अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, भूमि या भवन की शुद्ध औसत मासिक आय अवधारित करेगा, और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा तथा उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।

प्रतिकर का विभाजन

21–(1) यदि धारा 20 के अधीन अवधारित प्रतिकर की धनराशि में अनेक व्यक्ति स्वत्व रखने का दावा करें, तो सक्षम प्राधिकारी उन व्यक्तियों का जो उसकी राय में प्रतिकर पाने के हकदार हों तथा उनमें से प्रत्येक को देय धनराशि का अवधारण करेगा ।

(2) यदि प्रतिकर या उसके किसी भाग के विभाजन के बारे में अथवा इस बारे में कि किन व्यक्तियों को प्रतिकर या उसका कोई भाग देय है, कोई विवाद उठे तो सक्षम प्राधिकारी उक्त विवाद को मध्यस्थ को अभिदिष्ट कर सकता है ।

(3) मध्यस्थ, उपधारा (2) के अधीन अभिदिष्ट विवाद का निर्णय करने में, यथाशक्य लैंण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 के भाग 3 के उपबन्धो का अनुसरण करेगा । **ऐक्ट संख्या, 1894**

प्रतिकर का भुगतान करना या उसे न्यायालय में जमा करना

22–(1) सक्षम प्राधिकारी, प्रतिकर की धनराशि के अन्तिम अवधारण के पश्चात् राज्य सरकार की ओर से प्रतिकर की धनराशि का भुगतान, उन व्यक्तियों को जो उसे पाने के हकदार हों, करने का प्रस्ताव करेगा और उसका भुगतान करेगा ।

(2) यदि वे व्यक्ति जो, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ द्वारा अवधारित प्रतिकर के हकदार हों, उसे सवीकर न करें या उसके विभाजन के बारे में कोई विवाद उठे तो सक्षम प्राधिकारी उसे जिला न्यायाधीश के न्यायालय में जमा कर देगा और वह न्यायालय इस प्रकार जमा की गयी धनराशि के संबंध में उस रीति से कार्यवाही करेगा जो लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 की धारा 32 तथा धारा 33 में दी हुई है । **ऐक्ट संख्या 1, 1894**

अध्याय 6

मलिन बस्ती क्षेत्रों मे किरायेदारों का निष्कासन से संरक्षण

मलिन बस्ती क्षेत्रों में किरायेदार सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना नहीं निकाले जायेंगे

23–(1) मलिन बस्ती क्षेत्र मे किसी भवन या भूमि से किसी किरायेदार को निकालने की किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन यहां आगे की गई व्यवस्था से अन्यथा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि धारा 3 के अधीन घोषणा प्रचलित रहे, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात हो ।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित डिक्री या आदेश, उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् निष्पादित किया जा सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रार्थना–पत्र ऐसे प्रपत्र में दिया जायेगा और उसमें ऐसे विवरण दिये होंगे, जो नियत किये जायें ।

(4) ऐसा प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी, प्रार्थी और किरायेदार को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् और मामले की परिस्थितियों के संबंध में ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उपयुक्त समझे, यदि उसकी राय हो कि डिक्री या आदेश का निष्पादन इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन को निष्फल कर देगा या उसके लिये हानिकारक होगा तो प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार कर सकता है, किन्तु अन्य सभी दशाओं में वह उसे स्वीकार कर सकता है ।

(5) यदि सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञा देने से इन्कार करे तो वह इस प्रकार इन्कार करने के कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा और उसकी एक प्रतिलिपि प्रार्थी को उपलभ्य करायेगा ।

अपील करने का अधिकार

24–धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर, डिवीजन के आयुक्त को अथवा ऐसे अधिकारी या न्यायालय को जिसे राज्य सरकार तदर्थ विज्ञापित करे उस आदेश के विरूद्ध अपील कर सकता है और उस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा तथा किसी विधि–न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायेगी ।

अध्याय 7

विविध

प्रवेश तथा निरीक्षण का अधिकार

25–(1) किसी क्षेत्र के संबंध में धारा 3 के अधीन मलिन बस्ती क्षेत्र की या धारा 10 के अधीन निपातन क्षेत्र की घोषणा जारी किये जाने पर सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति––

(क) ऐसे क्षेत्र के किसी भवन या भूमि पर, सहायकों या कर्मकारों के साथ या उनके बिना, जांच, निरीक्षण, मापन, मूल्यांकन अथवा सर्वेक्षण करने या कोई ऐसा कार्य करने के अभिप्राय से प्रवेश कर सकता है जो आवश्यक हो और जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन प्राधिकृत हो ;

(ख) ऐसे क्षेत्र मे अथवा उस क्षेत्र के किसी भवन या भूमि के भीतर स्थित किसी नाली, शौचालय, मूत्रालय, मलकूप (cesspool) पाइप, मलनाले या मोरी का निरीक्षण कर सकता है और, यथास्थिति उक्त नाली, शौचालय, मूत्रालय, मलकूप, पाइप, मलनाले या मोरी से उत्पन्न किसी कंटक (nuisance) को रोकने या हटाने के प्रयोजन के लिये स्वमति से जमीन खुदवा सकता है ;

(ग) ऐसे क्षेत्र में तल मालूम करने अथवा किसी मीटर को हटाने, उसकी जांच करने, उसका परीक्षण करने, उसे बदलने या पढ़ने के लिये निर्माणाधीन कार्यो का परीक्षण कर सकता है ;

(घ) किसी द्वारा, फाटक या अन्य अवरोध को खोलने या खुलवाने के लिये किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है :––

(1) यदि वह इस अधिनियम द्वारा, अथवा इसके अधीन, प्राधिकृत प्रवेश करने के प्रयोजन के लिये उसका खोला जाना आवश्यक समझे ; और

(2) यदि स्वामी या अध्यासी अनुपस्थित हो अथवा उपस्थित रहने पर ऐसे द्वार, फाटक या अवरोध को खोलने से इन्कार करे ;

(ङ) ऐसे क्षेत्र में किसी भूमि पर, सहायकों या कर्मकारों सहित या उनके बिना इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तदन्तर्गत बने नियमों के द्वारा या उनके अधीन प्राधिकृत किसी निर्माण कार्य के पचास गज के भीतर उसमें कोई मिट्टी, कंकड़, पत्थर या अन्य सामग्री जमा करने के प्रयोजन के लिये अथवा उस कार्य तक पहुंचाने के लिये, या उससे संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रवेश कर सकता है ।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन प्रवेश करने के लिये प्राधिकृत हो, किसी भूमि में प्रवेश करने के पूर्व उसमें प्रवेश करने का प्रयोजन बतलायेगा और स्वामी

या अध्यासी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर, उतनी भूमि को घेर देगा जितनी उस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो ।

(3) इस अधिनियम द्वारा, अथवा इसके अधीन, प्राधिकृत कोई भी प्रवेश सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच ही किया जायेगा ।

(4) इस अधिनियम में की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये किसी भवन या भूमि में उसके अध्यासी, या यदि कोई अध्यासी न हो तो उसके स्वामी, की सम्मति के बिना साधारणतया प्रवेश नहीं किया जायेगा और, यथास्थिति, उक्त अध्यासी अथवा स्वामी को इस प्रकार प्रवेश करने के अभिप्राय का, कम से कम चौबीस घंटे पूर्व, लिखित नोटिस दिये बिना उसमें प्रवेश नहीं किया जायेगा ;

प्रतिबंध यह है कि यदि निरीक्षण किया जाने वाला स्थान पशुओं का छादक (शेड) या शौचालय, मूत्रालय अथवा निर्माणाधीन कोई कार्य हो तो ऐसा नोटिस देना आवश्यक न होगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत, इस धारा द्वारा प्राप्त किसी अधिकार का प्रयोग करते समय, यथासंभव, कोई क्षति न पहुंचने देगा ।

(6) यदि इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते समय कोई व्यक्ति किसी भवन या भूमि को क्षति पहुंचाये तो क्षति की पूर्ति प्रारम्भ में यथास्थिति, भवन या भूमि को उसी दशा में पुनः लाकर की जायेगी जिसमें वह, इस धारा के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा क्षति पहुंचाये जाने के पूर्व थी ।

(7) यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उस भवन या भूमि की दशा, जिसे इस धारा के अधीन प्राप्त किसी अधिकार का प्रयोग करते समय किसी व्यक्ति द्व ारा क्षति पहुंचाई गई हो, उस दशा में नहीं लाई जा सकती जिसमें वह इस धारा के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा क्षति पहुंचाये जाने के पूर्व थी, तो वह उसके लिये प्रतिकर की समुचित धनराशि अवधारित करेगा और ऐसे भवन या भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी या दोनो को उसका भुगतान करेगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्वामी या अध्यासी, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित प्रतिकर की धनराशि से सहमत न हो डिवीजन के आयुक्त को अपील कर सकता है जो सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उस पर अपना निर्णय देगा। आयुक्त का निर्णय अन्तिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि न्याय ालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।

निकालने के अधिकार का प्रयोग केवल सक्षम प्राधिकारी करेगा

26–यदि सक्षम प्राधिकारी का भवन के स्वामी के अभ्यावेदन पर या किसी ऐसी अन्य सूचना के आधार पर, जो उसके पास हो, यह समाधान हो जाय कि भवन के अध्यासियों ने, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये या दिये गये किसी नोटिस, आदेश या निदेश का अनुपालन करके उसे खाली नहीं किया है तो वह लिखित आदेश द्वारा अध्यासियों को ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर निकालने के निदेश दे सकता है जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो और तदर्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा प्रयोग करवा सकता है जो आवश्यक हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी भवन के अध्यासियों को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण प्रकट करने का समुचित अवसर देगा ।

मलिन बस्ती क्षेत्रों से क्षोभकर या घृणास्पद व्यापारों को हटाने का अधिकार

27–(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि कोई व्यापार किसी मलिन बस्ती क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थय, नैतिकता या सुरक्षा की दृष्टि से क्षोभकर अथवा घृणास्पद है, तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस आशय की घोषणा कर सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन पर सक्षम प्राधिकारी, घोषणा में उल्लिखित व्यापार करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उसे लिखकर निदेश देगा कि वह मलिन बस्ती क्षेत्र से उस व्यापार को निदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर हटा ले ।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन दिये गये निदेश में उल्लिखित समय के भीतर किसी मलिन बस्ती क्षेत्र से व्यापार न हटाये तो सक्षम प्राधिकारी उसे हटवायेगा और तदर्थ वह ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा प्रयोग करवा सकता है जो आवश्यक हो ।

आपत्तियों को सुनने तथा उनका निस्तारण करने के लिये अधिकारियों तथा प्राधिका– रियों का अधिकार तथा अनुसरणीय प्रक्रिया

28–किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, जो इस अधिनियम के अधीन कोई जांच कर रहा हो या किसी आपत्ति की सुनवाई कर रहा हो, जहां त कवे प्रवृत्त हो सकें, दीवानी न्यायालय के समस्त अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो नियत की जाय ।

अपील

29–(1) इस अधिनियम मे व्यक्त रूप से की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश या निदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उस आदेश या निदेश्ज्ञ की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर, डिवीजन के आयुक्त को अथवा ऐसे अन्य अधिकारी या न्यायालय को, जिसे राज्य सरकार तदर्थ विज्ञापित करे, अपील कर सकता है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपील लिखित याचिका द्वारा की जाय `गी तथा उसके साथ उस आदेश या निदेश की एक प्रतिलिपि भी होगी जिसके विरूद्ध अपील हो ।

(3) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपील की गयी हो तो अपीलीय प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश अथवा निदेश के प्रवर्तन को ऐसे यथोचित समय के लिये और ऐसी शर्तो पर, जो उचित समझी जायं, रोक सकता है ।

ऐक्ट संख्या 5, 1908

(4) इस अधिनियम के अधीन किसी अपील को सुननें तथा उसका निर्णय करने में अपीलीय न्यायालय को दीवानी न्यायालय के समस्त अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रा प्त होंगे और वह अपील सुननें और उसका निस्तारण करने के संबंध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

(5) यदि इस अधिनिय के उपबन्धों के अधीन जिला न्यायाधीश को अपील प्रस्तुत की जाय तो जिला न्यायाधीश या तो स्वयं अपील की सुनवाई कर सकता है या वह उसे अपने अधीनस्थ किसी दीवानी न्यायाधीश (सिविल जज) को सुनवाई के लिये भेज सकता है।

राज्य सरकार का पुनरीक्षण अधिकार

(6) राज्य सरकार किसी समय या तो स्वयं या उसे तदर्थ प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति, प्राधिकारी, अधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा निस्तारित किसी मामले के

अभिलेख को, किसी दिये गये आदेश या निदेश की वैधता अथवा औचित्य के संबंध में अपनपा समाधान करने के प्रयोजन से मांग सकती है और उसके संबंध में ऐसा आदेश अथवा निदेश दे सकती है जो वह उचित समझे ;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार कोई ऐसा आदेश जो किसी व्यक्ति के विरूद्ध हो, उस व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, नहीं देगी ।

शास्तियां

30–यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन जारी किये गये या दिये गये किसी नोटिस, आदेश या निदेश का उल्लंघन करके कोई कार्य करे या धारा 14 अथवा 15 के अधीन आरोपित किसी निर्बन्धन या शर्त अथवा निपातन क्षेत्र के पुनः विकास की किसी योजना का उल्लंघन करके कोई का र्य प्रारम्भ करेया प्रारम्भ कराये तो वह कारावास दण्ड का भागी होगा, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है या अर्थ दण्ड का भागी होगा जो एक हजार रूपये तक हो सकता है या दोनो दण्डों का भागी होगा और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड का भागी होगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहे पचास रूपये से अधिक न होगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

31–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी है, तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय व्यवसाय चलाने के निमित्त कम्पनी का अवधायक था तथा उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ हो कम्पनी भी, अपराध के दोषी समझे जायेंगे और धारा 30 के अधीन दंडनीय होंगे ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ अथवा उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार का यथोचित प्रयास किया था तो वह इस उपधारा की किसी बात से दण्ड का भागी नहीं माना जायेगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह सिद्ध हो जाय कि वह अपराध कम्पनी के निदेशक (डाइरेक्टर), प्रबन्धक, सचिव अथवा अन्य किसी अधिकारी की सहमति या मिल्हुति (Connivance) से हुआ है अथवा उसकी ओर से उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह निदेशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और दण्ड का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—–

इस धारा के प्रयोजनों के लिये ;

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय (Body corporate) से है तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का संघ (एसोसियेशन) भी हैं ; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है ।

कुछ दशाओं में भवन गिराने का आदेश

32–(1) यदि धारा 14 तथा 15 के अधीन आरोपित किसी निर्बन्धन या शर्त या किसी निपातन क्षेत्र के पुनः विकास की योजना का उल्लंघन करके अथवा इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन जारी किये गये या दिये गये किसी नोटिस, आदेश या निदेश का उल्लंघन करके किसी भवन का विनिर्माण आरम्भ किया गया हो अथवा हो राह हो अथवा पूरा हो चुका हो, तो सक्षम प्राधिकारी, ऐसे अन्य उपाय के अतिरिक्त जो इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन उसे उपलब्ध हो, यह आदेश

दे सकता है कि उस विनिर्माण को उसका स्वामी दो मास से अनधिक ऐसे समय के भीतर, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाय, गिरा दे और स्वामी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर सक्षम प्राधिकारी ऐसे माध्यम से, जिसे वह तदर्थ प्राधिकृत करे, स्वामी के व्यय पर विनिर्माण को गिरवा सकता है ।

(2) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन विनिर्माण गिरवाने में ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा प्रयोग करवा सकता है जो आवश्यक समझा जाय ।

(3) स्वामी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा ।

न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

33–(1) प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से नीचे का कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का परीक्षण न करेगा ।

अभियोजन के निमित्त सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति

(2) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये अभियोजन सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा ।

इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 (ऐक्ट संख्या 9 1908) के कतिपय उपबन्धों की प्रवृत्ति

34–इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 की धारा 5 तथा 12 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों पर, जिनके अन्तर्गत अपील, प्रार्थना–पत्र और आपत्तियों से संबंधित कार्यवाहियां भी है, प्रवृत्त होंगे ।

प्रतिनिधान का अधिकार

35–सक्षम प्राधिकारी, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके यह निदेश दे सकता है कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य किसी अधिकार का प्रयोग, ऐसे मामलों में तथा ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुय जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट हों, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है, जो उसमें उल्लिखित हो ।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

36–कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो ।

सक्षम प्राधिकारी आदि लोक–सेवक होंगे ऐक्ट सं० 45, 1860

37–सक्षम प्राधिकारी और इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, इंडियन पीनल कोड की धारा 21 के अर्थ में, लोक सेवक (Public servant) समझा जायेगा ।

अधिनियम अन्य विधियों को अभिभूत करेगा

38–तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुये भी इस अधिनियम के उपबन्ध और तदन्तर्गत बनाये गये नियम प्रभावी होंगे ।

नियम बनाने का अधिकार

39–(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त अथवा किसी विषय की व्यवस्था कर सकते है, अर्थात् ;

(क) सक्षम प्राधिकारी के नोटिसों, आदेशों तथा अन्य कारणों के प्रमाणीकरण की रीति ;

(ख) किसी मलिन बस्ती क्षेत्र के पुनः विकास के लिये योजनाएं तैयार करना और ऐसी योजनाओं में सम्मिलित किये जाने वाले विषय ;

(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये व्ययों को, धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन भूमि के स्वामियो और भवनों के स्वामियों से जिस अनुपात में वसूल किया जा सकता है, उसे अवधारित करने के सिद्धान्त ;

(घ) प्रतिकर के भुगतान की प्रक्रिया तथा रीति ;

(ङ) प्रपत्र जिसमें तथा रीति जिसके अनुसार धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिये प्रार्थना–पत्र दिये जायेंगे और ऐसे प्रार्थना–पत्रों के संबंध में लिये जाने वाले शुल्क ;

(च) इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये नोटिसों, आदेशों या निदेशों को तामील करने की रीति ; और

(छ) कोई अन्य विषय जिसे नियत करना हो या जो नियत किया जा सके ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि के लिये रक्ख जायंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, सरकारी गजट मं प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कार अथवा निष्प्रभावन (annulment) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनो सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार कि कोई ऐसा परिष्कार या निष्प्रभावन संबंद्ध नियम के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण

[1] [**40**–सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के सुचारू प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निदेशों का अनुपालन करेगा।

विनियम बनाने की शक्ति

41–सक्षम प्राधिकारी, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सक्षम प्राधिकारी के मामलों को प्रशासित करने के लिए इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली से संगत विनियम द्वारा सकता है।**]**

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27, 2021 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

अनुसूची

[धारा 20 देखिये]

शुद्ध औसत मासिक आय अवधारित करने के सिद्धान्त

1–मलिन बस्ती क्षेत्र या निपातन क्षेत्र में किसी भवन या भूमि का औसत मासिक सकल किराया, उस सकल किराये का साठवां भाग होगा जो धारा 17 के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक के पूर्व लगातार पांच वर्षो की अवधि में उसके स्वामी को वास्तव में प्रोद्भूत हुआ हो ।

2–औसत मासिक सकल किरया अवधारित करने में सक्षम प्राधिकारी या वह अधिकारी, जिसे वह तदर्थ अधिकृत करे, ऐसे अवधारण के लिये स्थानीय जांच कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो, सम्बद्ध नगरपालिका या अन्य स्थानीय–प्राधिकारी के सम्पत्ति कर–निर्धारण पुस्तिकाओं से ऐसे उद्धरणों की प्रमाणित प्रतिलिपियां जिनमें उस भूमि या भवन का किराया मूल्य दिया हो, प्राप्त कर सकता है तथा इस संबंध में ऐसी अन्य सूचना प्राप्त कर सकता है जो वह आवश्यक समझे ।

3–धारा 20 के उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये शुद्ध औसत मासिक आय, पैरा 1 में दी गई रीति से अवधारित औसत मासिक सकल किराये की साठ प्रतिशत होगी । औसत मासिक सकल किराये के शेष चालीस प्रतिशत पर, शुद्ध औसत मासिक आय अवधारित करते समय विचार नहीं किया जायेगा बल्कि उसे स्थानीय प्राधिकारी को देय सम्पत्ति कर, आयकर, समाहरण व्यय, अशोध्य ऋण, भवन की मरम्मत तथा अनुरक्षण और अन्य आनुषांगिक व्ययों के मध्ये छोड़ दिया जायेगा ।

4–यदि कोई भूमि या भवन अथवा उसका कोई भाग अन्ध्यासित रहा या उसके संबंध में कोई किराया उक्त पूरे पांच वर्षो में अथवा उसके किसी भाग में स्वामी को प्रोद्भूत न हुआ हो तो ऐसी भूमि या भवन अथवा उसके भाग का सकल किराया, उस किराये के आधार पर अवधारित, किया जायेगा, जो उस भूमि या भवन के खाली रहने की अवधि में यथास्थिति, उस भूमि या भवन के पास–पड़ोस की उसी प्रकार की अन्य भूमि या भवन से प्राप्त हुआ हो ।